रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 27, 2012/माघ 7, 1933

No. 31] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 27, 2012/MAGHA 7, 1933

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

(महालेखा नियंत्रक)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2012

सा.का.नि. 50(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (समूह 'ग')भर्ती नियम, 2000 को, जहां तक उसका संबंध लेखाकार और ज्येष्ठ लेखकार से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा में लेखाकार और ज्येष्ठ लेखाकार के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अथार्त:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (लेखाकार और ज्येष्ठ लेखाकार समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 है।

(2.) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में समनुदेशित है;

(ख) "काडर" से क्रमश: लेखाकार और ज्येष्ठ लेखाकार अभिप्रेत है। प्रत्येक मंत्रालय इन नियमों के उपाबंध में यथाविनिर्दिष्ट पदों की कुल संख्या में समाविष्ट लेखाकार और ज्येष्ठ लेखाकार की अपनी-अपनी श्रेणियों में लेखाकार और ज्येष्ठ लेखाकार का अपना स्वयं का पृथक और स्वतंत्र काडर होगा;

(ग) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "आयोग" से कर्मचारी चयन आयोग या इन नियमों के अंतर्गत आने वाले कोई अन्य भर्ती करने वाले अभिकरण जिसको सरकार गठित करे, अभिप्रेत है;

(ङ) "महालेखा नियंत्रक" से वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का महालेखा नियंत्रक अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत इन नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए महालेखा नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किए गए अपर महालेखा नियंत्रक या संयुक्त महालेखा नियंत्रक या उप महालेखा नियंत्रक या सहायक महालेखा नियंत्रक भी है;

(च) "मंत्रालय" से भारत सरकार का कोई मंत्रालय अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत इन नियमों से उपाबंध में विनिर्दिष्ट मंत्रालय के कोई विभाग या कोई कार्यालय भी हैं;

(छ) "अनुसूची" से इन नियमों में उपाबंध अनुसूची अभिप्रेत है।

(ज) "सेवा" से केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (समूह 'ग') अभिप्रेत है।

(झ) "संगठित लेखा सेवा" जिसके अंतर्गत सरकार के लेखा और संपरीक्षा विभाग, रक्षा लेखा, रेल लेखा, डाक-तार लेखा की लेखा सेवाएं और दूर संचार लेखा भी है।

3. पद - संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड-वेतन/वेतनमान - उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगें, जो इन नियमों से उपाबध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि : भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. प्रोन्नति का विनियमन :

(1) लेखाकार और ज्येष्ठ लेखाकार के काडरों में प्रोन्नति, इस नियम के अधीन विहित रूप में महालेखा नियंत्रक द्वारा विनियमित की जाएगी।

(2)(क) जहां प्रोन्नति ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता पर आधारित है, वहां प्रत्येक मंत्रालय प्रतिवर्ष, अनुसूची के स्तंभ 12 के अनुसार पोषक श्रेणी में न्यूनतक अर्हक सेवा के साथ सभी पात्र अभ्यर्थियों के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक आयोजित करेगा और प्रोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों की उनकी ज्येष्ठता के क्रम में एक चयन सूची तैयार करेगा और उसे महालेखा नियंत्रक को भेजेगा।

(ख) महालेखा नियंत्रक उक्त चयन सूचियों से नीचे उप पैरा(ग) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अभ्यर्थियों की संयुक्त चयन सूची तैयार करेगा।

(ग) संयुक्त चयन सूची मंत्रालयों की चयन सूचियों से, ज्येष्ठता के क्रम में, नामों को विलय करके तैयार की जाएगी। संयुक्त चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या महालेखा नियंत्रक द्वारा विहित की गई तारीख को मंत्रालयों में संबंधित काडरों में उपलब्ध रिक्त पदों की कुल संख्या पर आधारित होगी। संयुक्त चयन सूची से विभिन्न मंत्रालयों के अभ्यर्थियों की परस्पर ज्येष्ठता पोषक श्रेणी में उनके द्वारा की गई सेवावधि के आधार पर और सरकार द्वारा, समय-समय पर ज्येष्ठता के अवधारण के लिए इस बाबत अधिकथित साधारण सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जाएगी:

परन्तु एक ही मंत्रालय के अभ्यार्थियों की परस्पर ज्येष्ठता संयुक्त चयन सूची में बनाए रखी जायेगी।

(घ) महालेखा नियंत्रक, सम्मिलित चयन सूची से मंत्रालयों को अभ्यर्थियों का आबंटन करेगा।

(3)(क) जहां प्रोन्नति, विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा पर आधारित है, वहां प्रत्येक मंत्रालय महालेखा नियंत्रक के निदेश के अनुसार उसे विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों की एक सूची भेजेगा।

(ख) महालेखा नियंत्रक, समय-समय पर विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा संचालित करेगा और परीक्षा में उनकी योग्यता क्रम में अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगा।

(ग) जब तक कि महालेखा नियंत्रक द्वारा अन्यथा आदेश न किया गया हो, चयन सूची में अभ्यर्थियों की संख्या, विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा कोटा के अधीन उपलब्ध कुल रिक्तियों की संख्या तक निर्बंधित होगी।

(घ) महालेखा नियंत्रक, चयन सूची से अभ्यार्थियों का मंत्रालयों को आबंटन करेगा।

6. स्थानांतरण - (1) लेखाकार और ज्येष्ठ लेखाकार, भारत के किसी भाग में सेवा करने के लिए दायी होंगे।

(2) महालेखा नियंत्रक का यदि यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके आदेश द्वारा किसी लेखाकार या ज्येष्ठ लेखाकार के अनुरोध पर उसी श्रेणी में एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में स्थानांतरण कर सकेगा।

7. निरर्हता : वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

8. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बातत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

9. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य वशिेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
लेखाकार	1021*(2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1;5200-2020 और ग्रेड वेतन 2800	अचयन	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अवधारित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाल व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियां की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि को हो।
8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से **बैचलर डिग्री**	नही	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की दशा में दो वर्ष। परिवीक्षा की अवधि किसी भी दशा में विस्तारित की जा सकेगी यदि नियुक्ति प्राधिकारी उपयुक्त समझे किन्तु परिवीक्षा के विस्तार की कुल अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी जहां पदधारी के विरूद्ध कोई विभागीय या विधिक कार्यवाहियां का आदेश के लंबित होने के कारण आवश्यक हो। सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति को महालेखा नियंत्रक द्वारा संचालित विभागीय पुष्टिकारी परीक्षा विनिर्दिष्ट शर्तों और निबंधनों के अनुसार और तीन वर्ष के भीतर उत्तीर्ण करना होगा। यदि वे उक्त परीक्षा उतीर्ण करने में असफल रहते हैं तो अवर श्रेणी लिपिक के निम्नतर पद स्वीकार करने का अवसर दिया जाएगा। फिर भी, यदि वे उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो वे सेवोन्मुक्त किए जाने के दायी

		हेंगे। इसके अतिरिक्त, तब तक वे उक्त श्रेणी में कोई वेतनवृद्धि प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे जब तक वे उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेते और उनके उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उनका वेतन पुन: नियत किया जाएगा मानों उनकी वेतनवृद्धि इस परंतुक के अधीन रोकी नहीं गई थी किन्तु रोकी गई वेतनवृद्धियों की अवधि के लिए कोई बकाया वेतन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
11	12
सीधी भर्ती (i) 70 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (ii) 25 प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा (iii) 5 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा	प्रतिनियुक्ति : (1) स्तंभ 11 की मद (i)में विनिर्दिष्ट रीति में कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा न भरे गए शेष रिक्तियों के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकथित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए अन्य संगठित लेखा सेवा, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय जो केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा पूर्णत: निधिक हैं से समूचित श्रेणी के व्यक्तयों को लेकर प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकेंगी। (2) आपवादिक रूप से अच्छे निष्पादन वाले प्रतिनियुक्त व्यक्ति पर, प्रतिनियुक्ति के दो वर्ष पूरे हो जाने पर काडर और लेखा महानियंत्रक के पूर्व सहमति के अध्यधीन और विचार किए जाने वाले वर्ष में 1 जनवरी को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए, जनहित में आमेलन के लिए विचार किया जा सकेगा। (क) मूल काडर में वेतन बैंड: ऐसे प्रतिनियुक्त व्यक्ति जो आमेलन के लिए किसी विकल्प का प्रयोग करता है, मूल काडर में निम्नलिखित वेतन बैंड में से कोई वेतन बैंड धारण करता हों : (i) वेतन बैंड-1; 5200-20200 रु.+ग्रेड वेतन 2800 रु. या समतुल्य श्रेणी; या (ii) वेतन बैंड-1; 5200-20200 रु.+ग्रेड वेतन 2400 रु. और इस वेतन बैंड या समतुल्य श्रेणी में पांच वर्ष से अन्यून सेवा की हो; या (iii) वेतन बैंड -1; वेतन बैंड-1; 5200-20200 रु.+ग्रेड वेतन 1900 रु. और इस वेतन बैंड या समतुल्य श्रेणी में नौ वर्ष से अन्यून सेवा की हो; या (iv) मूल काडर में उपरोक्त (ii) और (iii) के वेतन बैंड/समतुल्य श्रेणी में नौ वर्ष सम्मिलित सेवा की हो। (ख) शैक्षिक अर्हता : स्तंभ 8 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथाविहित। (ग) ऊपरी आयु सीमा : 50 वर्ष (आपवादिक मामलों में काडर नियंत्रण करने वाले प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है) परंतु यह और भी कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/भूतपूर्व सैनिकों/शारीरिक रूप से अस्वीधाग्रस्त व्यक्तियों,आदि के संबंध में आरक्षण के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निकाले गए ऐसे अन्य आदेशों को जिनका सीधी भर्ती द्वारा रिक्तियों को भरते समय पालन किया जाना अपेक्षित है, प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के आमेलन के मामले पर विचार करते समय भी पालन किया जाएगा।

	(3) स्तंभ 11 के मद (i) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट सीधी भर्ती के लिए नियत प्रतिशत, अर्थात 70 प्रतिशत के भीतर प्रतिनियुक्त व्यक्तियों का आमेलन किया जाएगा। (4) प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी को पांच वर्ष से अन्यून नियमित सेवा करने वाले अवर श्रेणी लिपिकों में से स्तंभ 11 के मद (ii) में विनिर्दिष्ट रीति में प्रोन्नति की जाएगी। (5) ऐसे अवर श्रेणी लिपिक में से स्तंभ 11 के मद (iii) में विनिर्दिष्ट रीति में प्रोन्नति की जाएगी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जो नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार महालेखा नियंत्रक द्वारा संचालित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में अर्हित है। टिप्पण:- 1 लेखाकार की श्रेणी में प्रोन्नत या आमेलित ऐसे व्यक्ति, तब तक उस श्रेणी में कोई वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक वे महालेखा नियंत्रक द्वारा संचालित विभागीय पुष्टिकारी परीक्षा विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार उत्तीर्ण नहीं कर लेते और उनके उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उनका वेतन पुन:नियत किया जाएगा मानों उनकी वेतनवृद्धि इस परंतुक के अधीन रोकी नहीं गई थी किन्तु रोकी गई वेतनवृद्धियों की अवधि के लिए बकाया वेतन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। टिप्पण:-2 जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएग का परन्तु यह तब जबंकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक हो। टिप्पण 3:- प्रोन्नति के लिए न्यूनतक अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2006 से पहले उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2006 से पहले उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन संरचना का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तरित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उत्रयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी गेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति: लेखा नियंत्रक/उप महालेखा नियंत्रक - अध्यक्ष* उप लेखा नियंत्रक - सदस्य** ज्येष्ठ लेखा अधिकारी/वेतन और लेखा अधिकारी - सदस्य * उप महालेखा नियंत्रक तब अध्यक्ष हो सकेगा जब मंत्रालय में जहां विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक होती है वहां कोई लेखा नियंत्रक नहीं है। ** यदि उप लेखा नियंत्रक उपलब्ध नहीं है तो यथास्थिति उप लेखा नियंत्रक के बदले में उसके स्थान पर सहायक लेखा नियंत्रक या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या वेतन और लेखा अधिकारी हो सकेंगे।	लागू नहीं है

1	2	3	4	5	6	7
2. ज्येष्ठ लेखाकार	4085 * (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2; 9300-34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4200 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: ऐसे लेखाकार में से प्रोन्नति जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने महालेखा नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार और उनके द्वारा संचालित विभागीय पुष्टिकारी परीक्षा उतीर्ण की है और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर सभी मंत्रालयों के लिए सामान्य ज्येष्ठता सूची से की जाएगी। टिप्पण - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होनें अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई एसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक हो और उन्होंने अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति: लेखा नियंत्रक/उप महालेखा नियंत्रक - अध्यक्ष*	लागू नहीं होता

284 GI/12-2

उप लेखा नियंत्रक - सदस्य** ज्येष्ठ लेखा अधिकारी/वेतन और लेखा अधिकारी - सदस्य *. उप महालेखा नियंत्रक तब अध्यक्ष हो सकेगा जब मंत्रालय में जहां विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक होती है वहां कोई लेखा नियंत्रक नहीं है। **. यदि उप लेखा नियंत्रक उपलब्ध नहीं है तो उप लेखा नियंत्रक के बदले में उसके स्थान पर सहायक लेखा नियंत्रक या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या वेतन और लेखा अधिकारी हो सकेंगे।	

[फा. सं. ए-11020/1/2010/एमएफ. सीजीए/आरआर]

सोनाली सिंह, संयुक्त महालेखा नियंत्रक

उपाबंध

लेखाकार/ज्येष्ठ लेखाकार की स्वीकृत संख्या (लेखाकार और ज्येष्ठ लेखाकार के पद 20:80 के अनुपात में है।)

क्रं.सं.	मंत्रालय/विभाग	पदों की संख्या
1.	कृषि	166
2.	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	619
3.	केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड	624
4.	रसायन और पेट्रो रसायन	8
5.	नागर विमानन और पर्यटन	61
6.	वाणिज्य और कपड़ा	103
7.	केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय	38
8.	उपभोक्ता कार्य और जन वितरण	111
9.	कोयला	10
10.	पर्यावरण और वन	45
11.	विदेश कार्य	92
12.	भूमि विज्ञान	51
13.	उर्वरक	15
14.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	11
15.	वित्त	174
16.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	218
17.	गृह कार्य	680
18.	मानव संसाधन विकास	112
19.	आई.एन.जी.ए.एफ.	4
20.	सूचना और प्रसारण	266
21.	सूचना प्रौद्योगिकी	29
22.	उद्योग	96
23.	श्रम और रोजगार	82
24.	विधि न्याय और कंपनी कार्य	44
25.	खान	257
26.	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	7
27.	कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन	77
28.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	6
29.	योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन	53
30.	विद्युत (ऊर्जा)	38
31.	ग्रामीण विकास	25
32.	सड़क परिवहन और पोत	107
33.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	99
34.	इस्पात	14
35.	समाजिक न्याय और रोजगार	4

36.	पूर्ति	171
37.	शहरी विकास	444
38.	जल संसाधन	145
	कुल	5106

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

(CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2012

G.S.R. 50(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Civil Accounts Service(Group 'C')Recruitment Rules,2000,in so far as they relate to Accountant and Senior Accountant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Accountant and Senior Accountant in the Central Civil Accounts Service, namely :-

1. Short title and Commencement.— (1) These rules may be called the Central Civil Accounts Service (Accountant and Senior Accountant Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In these rules unless the context otherwise requires, —

(a) "Appointing authority" shall have the same meaning as assigned to in the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965;

(b) "Cadre" means the cadre of Accountant and Senior Accountant respectively. Each Ministry shall have its own separate and independent cadres of Accountant and Senior Accountant comprising total number of posts as specified in the Annexure to these rules, in the respective grades of Accountant and Senior Accountant;

(c) "Government" means the Government of India;

(d) "Commission" means the Staff Selection Commission or any other recruiting agency for the cadres covered by these rules, which the Government may constitute;

(e) "Controller General of Accounts" means the Controller General of Accounts in the Department of Expenditure, Ministry of Finance and includes Additional Controller General of Accounts or Joint Controller General of Accounts or Deputy Controller General of Accounts or Assistant Controller General of Accounts authorised by the Controller General of Accounts to exercise powers under these rules;

(f) "Ministry" means a Ministry in the Government of India and includes Departments of the Ministry or an Office specified in the Annexure to these rules;

(g) "Schedule" means Schedule annexed to these rules;

(h) "Service" means the Central Civil Accounts Service (Group 'C');

(i) "Organised Accounts Services" include the Accounts Services in the Departments of Audit and Accounts, Defence Accounts, Railway Accounts, Post and Telegraph Accounts and Telecom Accounts in the Government.

3. **Number of posts, classification and pay band and grade pay/pay scale.**— The number of posts, their classification and pay band and grade pay/pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, educational qualification, etc.**— The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule annexed to these rules.

5. **Regulation of Promotion.**— (1) Promotion in the cadres of Accountant and Senior Accountant shall be regulated by the Controller General of Accounts as prescribed under this rule.

(2) (a) Where promotion is based on seniority-cum-fitness, each Ministry shall hold a Departmental Promotion Committee meeting each year to consider all eligible candidates with minimum qualifying service in the feeder grade as per column 12 of Schedule and prepare a select list of the candidates found fit for promotion in order of their seniority and forward the same to the Controller General of Accounts;

(b) From the said select lists, the Controller General of Accounts shall prepare a combined select list of candidates in accordance with the provisions contained in sub-para (c) below;

(c) The combined select list shall be prepared by merging names from the select lists of the ministries in order of seniority. The number of candidates to be included in the combined select list shall depend on the total number of vacancies available in respective cadres in the Ministries on a date specified by the Controller General of Accounts. The inter-se-seniority of the candidates from different Ministries in the combined select list shall be determined on the basis of length of service rendered by them in the feeder grade and in terms of general principles for determining seniority in this regard as laid down by the Government from time to time:

Provided that inter-se-seniority of the candidates from the same Ministry shall be retained in the combined select list;

(d) The Controller General of Accounts shall allocate candidates to the Ministries from the combined select list.

(3) (a) Where promotion is based on departmental competitive examination, each Ministry shall, in accordance with the directive of the Controller General of Accounts , forward to it a list of candidates considered fit to appear in the departmental competitive examination;

(b) The Controller General of Accounts shall conduct the departmental competitive examination from time to time and prepare a select list of candidates in order of their merit in the examination;

(c) The number of candidates in the select list shall be restricted to the total number of vacancies available under the departmental competitive examination quota unless otherwise ordered by the Controller General of Accounts;

(d) The Controller General of Accounts shall allocate candidates from the select list to the Ministries.

6. **Transfer.**— (1) The Accountant and Senior Accountant shall be liable to serve in any part of India .

(2) The Controller General of Accounts may, if satisfied that it is necessary or expedient in public interest so to do, by order, and for reasons to be recorded in writing, transfer an Accountant and Senior Accountant on request by officer, from one Ministry to the other in the same grade.

7. **Disqualification.**— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

8. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. **Savings.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay /Pay Scale.
1	**2**	**3**	**4**
1. **Accountant.**	1021*(2010)*subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.	Pay Band- 1 Rs. 5200-20200 +Grade Pay Rs. 2800/-.
Whether selection post or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service(Pension) Rules,1972.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
5	**6**	**7**	**8**
Non- selection.	Not applicable.	Between 18 and 27 years age(relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit	Bachelor's degree from a recognised University.

		shall be as fixed by the Staff Selection Commission.	
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made.
9	**10**	**11**	**12**
No.	Two years in case of direct recruits. The period of probation, may, if the appointing authority deems fit, be extended in any case, but the total period of extension of probation shall not, save where it is necessary by reason of any departmental or legal proceedings pending against the official, exceed one year. Direct	Direct recruitment (i) **70%** by direct recruitment through Staff Selection Commission; (ii) **25%** by promotion on seniority basis; (iii) **5%** by promotion on the basis of limited departmental competitive examination.	**Deputation:** (1) Vacancies remaining unfilled by direct recruitment through Staff Selection Commission in manner specified in item (i) of column 11 may be filled up by deputation by taking persons of appropriate grade from other Organised Accounts Services, Central Government, State Government or Autonomous Bodies which are fully funded by the Central or State

284 GI/12-3

	recruits have to pass Departmental Confirmatory Examination conducted by the Controller General of Accounts as per terms and conditions specified and within a period of three years. In case they fail to pass the said examination they will be given the opportunity to accept lower post of Lower Division Clerk. However, if they decline the said offer, they shall be liable for discharge from service. Further, they shall not be entitled to draw any increment in the Grade until they qualify the said test and on their passing the said test, their pay shall be re-fixed as if their increments had not been		Government subject to terms and conditions laid down by the Central Government from time to time in this regard. (2) A deputationist with an exceptionally good performance; on completion of two years of deputation may be considered for absorption in public interest subject to the prior concurrence of the parent cadre and the Controller General of Accounts and subject to the fulfillment of the following conditions as on 1st of January in the year of consideration. (a) Pay Band in the parent cadre: A deputationist who exercises an option for absorption should hold any of the following Pay Band in the parent cadre: (i) Pay Band -1 Rs. 5200-20200 Grade Pay 2800; or equivalent grade or

	withheld under this proviso, but no arrears of pay shall be allowed for the period the increments had been withheld'.		(ii) Pay Band -1 Rs. 5200-20200 Grade Pay 2400 with not less than five years service in this pay band; or equivalent grade or (iii) Pay Band -1 Rs. 5200-20200 Grade Pay 1900 with not less than nine years service in this pay band ; or equivalent grade or (iv) Combined service of nine years in the parent cadre in the pay band/ equivalent grade (ii) and (iii) above. (b) Educational Qualification: As prescribed for direct recruits in column (8). (c) Upper Age Limit: 50 years (relaxable at the discretion of the cadre controlling authority in exceptional cases); Provided further that orders issued by the Central Government from time to time regarding reservations for Schedule Castes/Schedule

			Tribes/Other Backward Classes / Ex-Servicemen / Physically Handicapped persons, etc. and other orders issued by Central Government which are required to be followed while filling up a vacancy by direct recruitment shall also be followed while considering cases of absorption of deputationist. (3) Absorption of the deputationist will be within the percentage fixed for direct recruitment as specified under item (i) of column 11 above i.e. 70%. **(4). Promotion** in the manner specified in item (ii) of column 11 shall be made from Lower Division Clerks belonging to the service with not less than five years of regular service as on 1st of January of each year. **(5). Promotion** in the manner specified in item (iii) of

			column 11 shall be made from Lower Division Clerks belonging to the service with three years of regular service in the grade and who qualify in the departmental competitive examination conducted by the Controller General of Accounts, as per procedure laid down under sub-rule(3)of rule 5. **Note: -1** 'Promotees or absorbees to the grade of Accountants shall not draw any increment in the Grade until they qualify the Departmental Confirmatory Examination conducted by the Controller General of Accounts as per terms and conditions specified and on their passing the said test, their pay shall be re-fixed as if their increments had not been withheld under this proviso, but no arrears of pay shall be allowed for the period

284 GI/12-4

			the increments had been withheld'. **Note 2:-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service. **Note 3:-** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/ pay scale extended based on

			the recommendations of the Commission. For the purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/ pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay / pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.			Circumstances in which Union Public Service Commission is

<table>
<tr><td colspan="3"></td><td>to be consulted in making recruitment.</td></tr>
<tr><td colspan="3">13</td><td>14</td></tr>
<tr><td colspan="3">Group 'C' Departmental Promotion Committee
Controller of Accounts/ Deputy Controller General of Accounts- Chairman*
Deputy Controller of Accounts- Member**
Senior Accounts Officer/Pay and Accounts Officer-Member
* Deputy Controller General of Accounts will be the Chairman, if there is no Controller of Accounts in the Ministry where Departmental promotion Committee takes place.
** The Deputy Controller of Accounts may be substituted by the Assistant Controller of Accounts or Senior Accounts Officer or Pay and Accounts Officer, as the case may be, if the Deputy Controller of Accounts is not available.</td><td>Not applicable.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Senior Accountant.</td><td>4085*(201 0)*subject to variation dependent on workload.</td><td>General Central Service Group 'C'
Non-Gazetted,
Ministerial.</td><td>Pay Band-2 Rs. 9300-34800 +Grade Pay Rs. 4200.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr>
<tr><td>Non- selection.</td><td>Not applicable.</td><td>Not applicable.</td><td>Not applicable.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>No.</td><td>Not applicable.</td><td>By promotion.</td><td>Promotion:
Promotion from amongst Accountants with three years of regular service and who have qualified the</td></tr>
</table>

			Departmental Confirmatory Examination as per terms and conditions specified and conducted by the Controller General of Accounts, and such promotion shall be made from the common seniority list for all Ministries on the basis of seniority –cum-fitness as per procedure laid down under sub-rule(2) of rule 5. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided; they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service and have successfully completed their probation.
13			**14**
Group 'C' Departmental Promotion Committee Controller of Accounts/ Deputy Controller General of Accounts- **Chairman***			Not applicable.

Deputy Controller of Accounts- **Member**** Senior Accounts Officer/Pay and Accounts Officer-**Member** * Deputy Controller General of Accounts will be the Chairman, if there is no Controller of Accounts in the Ministry where Departmental Promotion Committee takes place. ** The Deputy Controller of Accounts may be substituted by the Assistant Controller of Accounts or Senior Accounts Officer or Pay and Accounts Officer, as the case may be, if the Deputy Controller of Accounts is not available	

[F. No. A-11020/1/2010/MF.CGA/RR]

SONALI SINGH, Jt. Controller General of Accounts

ANNEXURE

SANCTIONED STRENGTH OF Accountant/Sr.Accountant(the post of Accountant and Sr. Accountant are in the ratio of 20:80)

Sl.No.	Ministry/Deptt.	No.of posts of Acctt/Sr. Accountant
1.	Agriculture	166
2.	Central Board of Direct Taxes	619
3.	Central Boar of Excise and Customs	624
4.	Chemical & Petro Chemicals	8
5.	Civil Aviation & Tourism	61
6.	Commerce & Textile	103
7.	Central Pension Accounting Office	38
8.	Consumer Affairs & Public Distribution	111
9.	Coal	10
10.	Environment & Forest	45
11.	External Affairs	92
12.	Earth Sciences	51
13.	Fertilizer	15
14.	Food Processing Industries	11
15.	Finance	174
16.	Health & Family Welfare	218
17.	Home Affairs	680
18.	Human Resources Development	112
19.	I.N.G.A.F.	4
20.	Information & Broadcasting	266
21.	Information & Technology	29
22.	Industry	96
23.	Labour & Employment	82
24.	Law,Justice & Company Affairs	44
25.	Mines	257
26.	Non Conventional Energy Sources	7
27.	Personnel, Public Grievance & Pension	77
28.	Petroleum & Natural Gas	6
29.	Planning & Programme Implementation	53
30.	Power	38
31.	Rural Development	25
32.	Road Transport & Highway & Shipping	107
33.	Science & Technology	99
34.	Steel	14
35.	Social Justice & Employment	4
36.	Supply	171
37.	Urban Development	444
38.	Water Resources	145
	TOTAL	5106

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.